



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-30 की उपधारा (1) की कंडिका (एक) से (छः) तक के प्रावधानानुसार विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड के सदस्यों की सूची (दिनांक 25-02-2025 की स्थिति में)

क्र.	धारा	सदस्यों के नाम एवं कार्यकाल
1.	धारा 30(1)(एक) के अंतर्गत	पदेन प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
	धारा 30(1)(एक-ए) के अंतर्गत	कुलाधिसचिव पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
2.	धारा 30(1)(दो) के अंतर्गत समस्त संकायाध्यक्ष (पदेन)	डॉ. एन. बोधनकर, आचार्य, भू-विज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर bninad21@gmail.com डॉ. ए.के. प्रधान, आचार्य, मानव विज्ञान अध्ययनशाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर Contact No. - 9425511967 pradhan.akp@gmail.com डॉ. संजय कुमार, आचार्य एवं अध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर Contact No. - 98271-72100 sanraipur@rediffmail.com
3.	धारा 30(1)(दो-ए) के अंतर्गत	डॉ. संजय जे. डहर्वाल, संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् Contact No. - 93401-70550 [Mobile] E-mail ID - sjdaharwal@gmail.com
4.	धारा 30(1)(तीन) के अंतर्गत विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के तीन विभागाध्यक्ष (कुलपति जी द्वारा मनोनीत)	(1) डॉ. कल्लोल कुमार घोष, आचार्य एवं अध्यक्ष, रसायन अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि.रायपुर (26.09.2023 से तीन वर्ष 25.09.2026 तक) Contact No. - [Mobile] E-mail. ID - kallolkghosh@gmail.com (2) डॉ. के.के. साहू, आचार्य एवं अध्यक्ष, बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला पं.र.शु.वि.वि. रायपुर (23.02.2023 से 22.02.2026 तक) Contact No. - [Mobile]

		E-mail. ID - skeshavkant@gmail.com (3) डॉ. अशोक प्रधान, आचार्य एवं अध्यक्ष मानव विज्ञान अध्ययनशाला पं.र.शु.वि.वि. रायपुर (23.02.2023 से 22.02.2026 तक) Contact No. - 94255-11967 [Mobile] E-mail. ID - pradhan.akp@gmail.com (अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष अथवा अध्यक्ष अध्ययनशाला के पद पर बने रहने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा।)
5.	धारा 30(1)(चार) के अंतर्गत महाविद्यालय के दो आचार्य (कुलपति जी द्वारा मनोनीत)	1. डॉ. किरण गजपाल, शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर मो.नं.- (26.09.2023 से 25.09.2026 तक) 2. -रिक्त-
6.	धारा (30)(1)(पाँच) के अंतर्गत विद्या-परिषद् द्वारा नाम मनोनीत किये गये ख्याति प्राप्त तीन विद्वान जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न हो	[1] [2] प्रो. रजीव प्रकाश, डायरेक्टर, आई.आई.टी. भिलाई, [(Indian Institute of Technology, Bhilai) (GEC Campus, Raipur C.G. - 492015)] E-mail- director@iitbhilai.ac.in 0771-2973600 (23.02.2023 से 22.02.2026 तक) [3]
7.	धारा 30(1)(छः) के अंतर्गत उद्योग, कृषि तथा वाणिज्य के दो प्रतिनिधि जो कुलाधिपति द्वारा मनोनीत सदस्य	(1) (2)

कुलसचिव